अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 14/2026
ललित कुमार झा
बनाम
बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–
श्री सुशील कुमार झा ..... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री शशांक शेखर झा ..... बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

ललित कुमार झा, पिता–श्री बाल कृष्ण झा, वार्ड नं0–6, लखनौर, पो0+थाना–लखनौर, वाया–झंझारपुर, जिला–मधुबनी ने बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 570, दिनांक 18.07.2025 एवं ज्ञापांक–1235, दिनांक 01.04.2026 के विरूद्ध यह अपील दायर की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को दिनांक 05.05.2026 की सुनवाई के दौरान बताया कि बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश ज्ञापांक 570, दिनांक 18.07.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के दिनांक 07.07.2025 के गलत प्रस्ताव पर प्रतिवादी सं0–7 को राधाकृष्ण संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लखनौर, मधुबनी में प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है एवं ज्ञापांक–1235, दिनांक 01.04.2026 द्वारा विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि संबंधित विद्यालय में सभी अनुमोदित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई शिक्षक पठन–पाठन हेतु विद्यालय में नहीं रह गए थे। तत्पश्चात् संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव ने अपने पत्रांक 459, दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त विद्यालय के प्रशासनिक संचलान हेतु संबंधित विद्यालय से निकटतम विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक के नाम का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था। उक्त अनुरोध के अनुपालन में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, लखनौर के दिनांक 04.07.2025 के तथाकथित प्रतिवेदन के आधार पर अपने दिनांक 07.07.2025 के पत्र द्वारा सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी के प्रधानाध्यापक के नाम की अनुशंसा भेजी, जो त्रुटिपूर्ण है।

अपीलार्थी का दावा है कि मधुबनी के लखनौर प्रखण्ड में तीन अन्य संस्कृत विद्यालय भी थे, जो सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर,

मधुबनी से निकटतम हैं। इसके बावजूद संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी के प्रधानाध्यापक का नाम प्रस्तावित किया गया था। यह बताना महत्वपूर्ण है कि संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने भावेश झा (योग्यता आचार्य), राजकीय मध्य विद्यालय, लखनौर के सहायक शिक्षक को विद्यालय का प्रभार देने का संकल्प दिनांक 09.08.2025 को स्थानीय सरपंच की अध्यक्षता में लिया था। इन सभी तथ्यों को नजरंदाज कर बोर्ड के अध्यक्ष ने बिना क्षेत्राधिकार के उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति का अनुमोदन भी दे दिया, जबकि अनुमोदित प्रबंध समिति ने दान–दाता, अभिभावक प्रतिनिधि एवं संस्कृत शिक्षा प्रेमी सदस्य फर्जी हैं। अनुमोदित प्रबंध समिति के सचिव एवं अध्यक्ष स्थानीय क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। बोर्ड के अध्यक्ष को प्रबंध समिति का अनुमोदन देने का अधिकार नही है। संस्कृत विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति का कोई प्रावधान नही है। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध, क्षेत्राधिकार रहित, अवैध तथा शक्तियों के दुरूपयोग पर आधारित है, अतः इसे Stay किया जाए।

बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 05.05.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विद्यालय में जब सभी शिक्षकगण सेवानिवृत्त हो जाए अथवा कोई अनुमोदित शिक्षक न बचा हो, तब निकटतम विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक को विद्यालय के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब तक कि कोई नियमित शिक्षक विद्यालय में न आ जाए। हालाँकि बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि नियमावली, 2015 के अंतर्गत विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं है। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश सही एवं वैध है। इस अपील को Stay नहीं किया जाए।

निष्कर्षः– सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों को सुना एवं संचिका का अवलोकन किया। सुनने तथा संचिका के अवलोकन के उपरांत प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि यह अपील संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 570, दिनांक 18.07.2025 एवं ज्ञापांक–1235, दिनांक 01.04.2026 के विरूद्ध दायर की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 05.05.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश ज्ञापांक 570, दिनांक 18.07.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के दिनांक 07.07.2025 के गलत प्रस्ताव पर प्रतिवादी सं0–7 को राधाकृष्ण संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लखनौर, मधुबनी में प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है एवं ज्ञापांक–1235, दिनांक 01.04.2026 द्वारा विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन दिया गया है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, लखनौर के दिनांक 04.07.2025 के तथाकथित प्रतिवेदन के आधार पर अपने दिनांक 07.07.2025 के पत्र द्वारा सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य

Vijay

विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी के प्रधानाध्यापक के नाम की अनुशंसा भेजी, जो त्रुटिपूर्ण है।

अपीलार्थी का दावा है कि मधुबनी के लखनौर प्रखण्ड में तीन अन्य संस्कृत विद्यालय भी थे, जो सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी से निकटतम हैं। इसके बावजूद संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी के प्रधानाध्यापक का नाम प्रस्तावित किया गया था। अपीलार्थी ने बताया कि संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने भावेश झा (योग्यता आचार्य), राजकीय मध्य विद्यालय, लखनौर के सहायक शिक्षक को विद्यालय का प्रभार देने का संकल्प दिनांक 09.08.2025 को स्थानीय सरपंच की अध्यक्षता में लिया था। इन सभी तथ्यों को नजरंदाज कर बोर्ड के अध्यक्ष ने बिना क्षेत्राधिकार के उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति का अनुमोदन भी दे दिया, जबकि अनुमोदित प्रबंध समिति ने दान–दाता, अभिभावक प्रतिनिधि एवं संस्कृत शिक्षा प्रेमी सदस्य फर्जी हैं। अनुमोदित प्रबंध समिति के सचिव एवं अध्यक्ष स्थानीय क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।

बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 05.05.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विद्यालय में जब सभी शिक्षकगण सेवानिवृत्त हो जाए अथवा कोई अनुमोदित शिक्षक न बचा हो, तब निकटतम विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक को विद्यालय के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जब तक कि कोई नियमित शिक्षक विद्यालय में न आ जाए। हालाँकि बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि नियमावली, 2015 के अंतर्गत विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

निकटतम विद्यालयों को छोड़कर दूर के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रसंगाधीन विद्यालय का प्रभारी बनाया जाना एवं तत्पश्चात् उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति का गठन करना अनुचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 570, दिनांक 18.07.2025 एवं ज्ञापांक–1235, दिनांक 01.04.2026 पर रोक (Stay) लगाई जाती है। इस अपील की सुनवाई की अगली तिथि 15.07.2026 को निर्धारित की जाती है।

लेखापित एवं सत्यापित।

Vijay

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 59 दिनांक 08/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार, 17, बैंक हाउसिंग रोड, पटना/ललित कुमार झा, पिता–श्री बाल कृष्ण झा, वार्ड नं0–6, लखनौर, पो0+थाना–लखनौर, वाया–झंझारपुर, जिला–मधुबनी/श्री कृष्णनंदन झा, सचिव, प्रबंध समिति, राधाकृष्ण संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लखनौर, मधुबनी/श्री कृष्ण कुमार, प्रधानाध्यापक, सांझा मालभोगीया संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, कटमाखोर, लखनौर, मधुबनी (वर्तमान प्रधानाध्यापक, राधाकृष्ण संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लखनौर, मधुबनी)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।